



UPLK010107792024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या 2470/2024

सरकार बनाम विजय शंकर जौहरी आदि

मु0अ0सं0 111/2022

अंतर्गत धारा-323,504,506 भा0दं0सं0

एवं धारा-3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट

थाना कृष्णानगर, जिला- लखनऊ।

दिनांक-06.05.2025

आवेदिका/अभियुक्ता ऋचा जौहरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सत्र वाद संख्या 2470/2024 मु0अ0सं0 111/2022 अंतर्गत धारा-323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा-3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ में अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 उन्मोचन प्रार्थना पत्र इस याचना के साथ दिया गया है कि अभियुक्ता को विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोपित वर्णित अंतर्गत धारा धारा-323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा-3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के आरोप में उन्मोचित किया जाये।

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा उन्मोचन हेतु यह आधार लिया गया है कि विवेचक द्वारा जिन धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है वे धाराएं आवेदिका पर नहीं बनती हैं। वादिनी का घटना से कोई सरोकार नहीं है। उस पर धारा 323 भा0दं0सं0 का आरोप नहीं बनता है, क्योंकि आवेदिका, वादिनी के फोन पर अपने घर बुलाकर आवेदिका के पति को ले जाने के लिए बुलाया गया था, अतः उसके द्वारा वादिनी को स्वेच्छया कोई उपहति कारित नहीं की गयी है। आवेदिका द्वारा वादिनी मुकदमा के घर पर जाकर केवल अपने पति को बुला के लाया गया है। उसके द्वारा वादिनी मुकदमा से ऐसी बात नहीं की गयी, जिससे वादिनी को शांतिभंग हो, इस कारण उस पर धारा 504 भा0दं0सं0 का आरोप भी नहीं बनता है। आवेदिका व उसके पति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है कि वह किसी को जान से मारने की कोशिश करे या धमकी दे। इसलिए उस पर धारा 506 भा0दं0सं0 का भी आरोप नहीं बनता है। वादिनी, आवेदिका के पति के आफिस में कार्य करती है, जिसके संबंध में वादिनी को यह जानकारी नहीं है कि आवेदिका किस जाति की है। दौरान विवेचना विवेचक को ऐसा कोई साक्षी नहीं मिला है, जो इस घटना की पुष्टि करे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 माह बाद सोची समझी साजिश के तहत रंजिशन दर्ज करायी गयी है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता को उक्त धाराओं में उन्मोचित किया जाये।

अभियोजन की ओर से आवेदिका/अभियुक्ता के उन्मोचन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी रोशनी गौतम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना कृष्णा नगर में प्रस्तुत की गयी कि निलम्बित विजय शंकर जौहरी वर्तमान में सम्बद्ध विद्युत जनपद मण्डल वि० इन्द्रलोक कालोनी द्वारा अनावश्यक मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चूंकि वर्तमान में वादिनी अवकाश पर है जब वह अवकाश पर नहीं थी, तब इनके द्वारा कार्यालय से साईट तक पीछता करता रहता था, वादिनी के फोन पर अनावश्यक कॉल करता था। दिनांक 19-09-2021 को यह शराब पीकर उसके घर पर आकर दरवाजे पर लाते मारने लगा, दरवाजा खोले जाने पर यह वादिनी व उसके पति से गाली गलौज व मारपीट करने लगा, फिर इसकी पत्नी आ गयी व वादिनी के गर्भवती होने के बावजूद भी इसकी पत्नी व विजय शंकर ने उसे मारा पीटा व गाली दी जो एक महिला के लिए बेहद नाजुक स्थिति होती है। दिनांक 26-10-2021 को विजय शंकर मेरी साईट पर आया व अनावश्यक बातें करने लगा व गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने का प्रयास करने लगा, जिस कारण घबराकर वह वहां से निकल आयी, फिर रात में वादिनी के फोन पर काल किया, जिसके बाद वादिनी ने 1090 पर शिकायत की व प्रार्थना पत्र डाक द्वारा थानाध्यक्ष व उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया। दिनांक 08-11-2021 को विजय ने दुबारा काल किया जिसकी शिकायत 1090 पर पुनः की गयी। परन्तु फिर भी वादिनी के घर के चक्कर काटते हुए उसके पति व उसे घूरता रहता है। दिनांक 08-03-2022 को मध्य रात्रि को मेरे फोन पर 11.42 से 12.35 के बीच नये नंबर से आपत्तिजनक व धमकी व्हाट्सएप मैसेज किया जिसे इसने तत्काल डिलीट कर दिया। चूंकि वे पूर्व में वादिनी, उसके पति व बच्चे को जान से मारने की धमकी दे चुका है। ऐसी स्थिति में उसके व उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विजय शंकर जौहरी व इसके परिवार की होगी।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सी०डी० 4 में वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम, वादिनी के पति अरविन्द कुमार का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। इसी प्रकार केस डायरी के पर्चा नं० 5 में वादिनी का बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित किया गया है, जिसमें भी वादिनी द्वारा घटना का पूर्णतया समर्थन किया गया है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा मु०अ०सं० 111/2022 अंतर्गत धारा-354घ, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-3(2)5क एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं 66सी आई०टी० ऐक्ट, थाना-कृष्णानगर में अभियुक्त विजय शंकर जौहरी व विजय शंकर जौहरी की पत्नी के विरुद्ध दर्ज कराई गयी है और गवाहों का बयान अंकित किये जाने व अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात् बाद विवेचक द्वारा अभियुक्ता ऋचा जौहरी के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-3(2)5क एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब**

(2014)3 एस0सी0सी0 92 में प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी मामले में आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या पत्रावली पर इस प्रकार का साक्ष्य आदि उपलब्ध है, जिससे युक्तियुक्त रूप में यह स्पष्ट होता हो कि आरोपित किये जाने वाले अपराध में अभियुक्तागण संलिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अन्य किसी तथ्य की जांच नहीं की जानी है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तागण की प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता रही है तो उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

हेमचन्द बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए.आई.आर.2008 एस.सी. 1903 इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को सीमित क्षेत्राधिकार होता है। इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं। इसी मामले में आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि चार्ज के स्टेज पर केवल और केवल विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों को ही पढ़ा जायेगा। अभियुक्तागण/बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया अभिलेखीय साक्ष्य पठनीय नहीं होगा। **Onkar Nath Mishra and others Vs. State of Delhi and others (2008) SCC (Criminal) Page 507** by the Hon'ble Supreme Court that at the stage of framing of charge the court is required to evaluate the materials and documents on record with a view to finding out if the facts emerging there from, taken at their face value, disclosed the existent of all the ingredients constituting the alleged offence. What need to be considered is whether there is ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At the stage, the court is expected to go deep into the provative value of the material on record of the court not is required to appreciate evidence to conclude whether the material produced are sufficient are not for convicting the accused of the material brought on record by the prosecution has to be accepted as true the stage. At that stage, even strong suspicious found on material which leads the court to form presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged would justify the framing of charge against the accused in-respect of the commission of the offence.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब (2014)3 एस0सी0सी0 92** में प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी मामले में आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या पत्रावली पर इस प्रकार का साक्ष्य आदि उपलब्ध है, जिससे युक्तियुक्त रूप में यह स्पष्ट होता हो कि आरोपित किये जाने वाले अपराध में अभियुक्ता संलिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अन्य किसी तथ्य की जांच नहीं की जानी है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्ता की प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता रही है तो उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु

पर्याप्त आधार होगा।

हेमचन्द बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए.आई.आर.2008 एस.सी. 1903 इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को सीमित क्षेत्राधिकार होता है। इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं। इसी मामले में आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि चार्ज के स्टेज पर केवल और केवल विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों को ही पढ़ा जायेगा। अभियुक्ता/बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया अभिलेखीय साक्ष्य पठनीय नहीं होगा। **Onkar Nath Mishra and others Vs. State of Delhi and others (2008) SCC (Criminal) Page 507** by the Hon'ble Supreme Court that at the stage of framing of charge the court is required to evaluate the materials and documents on record with a view to finding out if the facts emerging there from, taken at their face value, disclosed the existent of all the ingredients constituting the alleged offence. What need to be considered is whether there is ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At the stage, the court is expected to go deep into the provative value of the material on record of the court not is required to appreciate evidence to conclude whether the material produced are sufficient are not for convicting the accused of the material brought on record by the prosecution has to be accepted as true the stage. At that stage, even strong suspicious found on material which leads the court to form presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged would justify the framing of charge against the accused in-respect of the commission of the offence.

प्रस्तुत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षियों के साक्ष्य से घटना का समर्थन किया है, जबकि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसे झूठा फंसाया गया है। पूरी प्राथमिकी रिपोर्ट झूठी और आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। इन सभी कथनों व तथ्यों के संदर्भ में अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्ष्य जब पत्रावली पर आ जायेंगे, तभी उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया जा सकता है। आरोप के स्तर पर आवेदिका/अभियुक्ता के घटना में संलिप्त न होने के संबंध में लिये गये बचाव पर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि दौरान विवेचना साक्षियों ने धारा 161 दं०प्र०सं० में जो बयान विवेचक को दिये हैं, उनमें अभियुक्ता की संलिप्तता के संबंध में कथन किया है, जिसको इस स्तर पर अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, इस स्तर पर उनके बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। आरोप के स्तर पर केवल यह देखा जाना होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना जिन साक्ष्यों का संकलन किया गया है, उनके आधार पर प्रथम दृष्ट्या आरोप विरचित किये जाने और विचारण आरंभ किये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलन दौरान विवेचना किया गया

है, उनके आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

इस तरह उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुशीलन के उपरान्त यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदिका/अभियुक्ता ऋचा जौहरी द्वारा सत्र वाद संख्या 2470/2024 मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 111/2022 अंतर्गत धारा-323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा-3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना-कृष्णानगर, जनपद लखनऊ, का आरोप बनाये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता ऋचा जौहरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 14.05.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

दिनांक-06.05.2025